आखिरी जांच: 20 अक्टूबर 2026 · Punjab Building and Other Construction Workers Welfare Board (Department of Labour, Punjab)

Leave Travel Concession (LTC) Scheme for Registered Construction Workers

पंजाब का निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड पंजीकृत निर्माण मजदूरों को भारत में किसी धार्मिक या ऐतिहासिक स्थान की यात्रा या अपने गृहनगर जाने के लिए 2,000 रुपये देता है।

क्या मिल सकता है

भारत में किसी धार्मिक या ऐतिहासिक स्थान की एक यात्रा, या अपने गृहनगर जाने के लिए 2,000 रुपये की अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी)। यह रियायत दो साल में एक बार ली जा सकती है।

किसके लिए है

पंजाब भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण मजदूर।

मुख्य शर्तें

- आप पंजाब निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के पंजीकृत सदस्य होने चाहिए। बोर्ड उसे निर्माण मजदूर मानता है जिसने पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिन काम किया हो और जिसकी आयु 18 से 60 वर्ष हो।
- यात्रा भारत के किसी धार्मिक या ऐतिहासिक स्थान की, या अपने गृहनगर की होनी चाहिए।
- यह रियायत हर दो साल में केवल एक बार ली जा सकती है।

आवेदन कैसे करें

1. सबसे पहले बोर्ड में पंजीकरण कराएं: आवेदन फॉर्म संख्या 28 भरें और पंजीकरण शुल्क तथा मासिक अंशदान जमा करें।
2. एलटीसी का आवेदन देने के लिए नज़दीकी सेवा केंद्र जाएं, या अपने क्षेत्र के सहायक श्रम आयुक्त, श्रम-सह-सुलह अधिकारी, श्रम निरीक्षक या श्रम प्रवर्तन अधिकारी से मिलें।
3. आवेदन के बाद बोर्ड की वेबसाइट पर 'Check your Scheme Application Status' लिंक से अपने आवेदन की स्थिति देखें।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://bocw.punjab.gov.in/index.aspx?id=Welfare%20Schemes&Data=38
आधिकारिक PDF: https://bocw.punjab.gov.in/userfiles/file/Scheme%20Forms/Twenty%20Welfare%20Sch%20in%20English%20report%20wise.pdf
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/punjab/pb-bocw-ltc/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।